**सचिव**
**माननीय राज्यपाल, राजस्थान**

सत्यमेव जयते

राजभवन, जयपुर - 302 006
राजस्थान,
फोन : +91-141-2228792
फैक्स : +91-141-2221156

क्रमांक : एफ.44(1)आरबी/2020 पार्ट/1599
दिनांक : 28 मार्च, 2025

**प्रो. त्रिभुवन शर्मा,**
**कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और**
**पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।**

महोदय,

राजभवन के आदेश क्रमांक 1401—02 दिनांक 08.03.2023 के माध्यम से प्रो. रमेश चन्द्रा को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का कुलपति नियुक्त किया गया था।

इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 1596—97 दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से प्रो. रमेश चन्द्रा, कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर को कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

चूंकि महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति होने में समय लगने की संभावना है। साथ ही विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(9) व 11(10) के तहत कामचलाऊ व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की सलाह प्राप्त होने में भी समय लगने की संभावना है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रो. त्रिभुवन शर्मा, कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः मैं, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार आपको कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

भवदीय,

(डॉ. पृथ्वी)

क्रमांक : एफ.44(1)आरबी / 2020 पार्ट / 1600 दिनांक : 28 मार्च, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
4. कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान